

## मोबाइल बुकिंग के लिए निबंधन एवं शर्तें

यात्री कृपया निम्नलिखित मदों पर ध्यान दें :-

### देयता की सीमा तथा वारंटियों के लिए डिस्कलेमर

एअर इंडिया किसी भी स्थिति में इस एप्लिकेशन के प्रयोग के कारण किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इंसीडेंटल, विशेष अथवा परिणामी अथवा इस एप्लिकेशन के किसी भी रूप में प्रयोग से जुड़ी अथवा इस एप्लिकेशन के उपयोग से हुए विलंब अथवा असमर्थता अथवा इस एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त किसी भी सूचना, उत्पादों तथा सेवाओं (हवाई मार्ग द्वारा वहन की सेवाओं के अलावा) के लिए अथवा इस एप्लिकेशन के उपयोग से उत्पन्न चाहे वे कान्ट्रैक्ट, टॉर्ट, निश्चित देयता अथवा अन्य पर आधारित हो, के कारण हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इस एप्लिकेशन का उपयोग करके प्राप्त की गई टिकट का उपयोग करके हवाई मार्ग द्वारा किया गया कोई भी वहन संबंधित वाहक की वहन शर्तों के अनुसार होगा जो गैर-अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों वहनों के लिए लागू है। यह वारसा कन्वेंशन 1929 अथवा हेग प्रोटोकॉल, 1955 अथवा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के भी अधीन होंगे जो कुछ परिस्थितियों में वाहक की देयता को सीमित करेंगे। कृपया वहन की शर्तों से संबंधित नीचे दिए गए नोट को देखें।

हालांकि हम इस एप्लिकेशन पर सही तथा अद्यतन सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास करेंगे परंतु एअर इंडिया लिमिटेड इसकी एक्यूरेसी के लिए कोई वारंटी अथवा रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। इस संबंध में किसी भी प्रकार की टाइपोग्राफिकल अथवा अन्य त्रुटियों अथवा चूक के लिए भी एअर इंडिया लिमिटेड की कोई देयता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी।

एअर इंडिया लिमिटेड इस एप्लिकेशन के माध्यम से निरंतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है परंतु एअर इंडिया लिमिटेड यह रिप्रेजेंट नहीं कर सकती अथवा वारंटी नहीं दे सकती कि इस एप्लिकेशन में एक्सेस बाधा रहित होगा अथवा यह कि दी गई सूचना में कोई विफलता, गलती अथवा चूक अथवा ट्रांसमिटेड सूचनाओं की हानि नहीं होगी अथवा यह कि इसमें कोई वायरस नहीं आएगा। एअर इंडिया लिमिटेड किसी भी उद्देश्य के लिए इस एप्लिकेशन में दी गई सूचना, उत्पाद अथवा सेवाओं की उपयुक्तता का कोई दावा नहीं करती। ये सभी सूचनाएं, उत्पाद तथा सेवाएं "जैसा है" आधार पर बिना किसी भी प्रकार की वारंटी के उपलब्ध कराई गई हैं। एअर इंडिया लिमिटेड एतद् द्वारा सभी सूचनाओं, उत्पाद तथा सेवाओं (हवाई मार्ग द्वारा वहन किए गए के अलावा) से संबंधित सभी वारंटियों तथा शर्तों जिसमें किसी विशेष प्रयोजन, टाइटल तथा नॉन-इन्फ्रिंजमेंट के लिए विक्रय, फिटनेस की सभी लागू वारंटियों तथा शर्तों सहित अपना दावा हटाती है।

कृपया सभी टिप्पणियां तथा नियमों को पढ़ें। आप मोबाइल एप्लिकेशन पर बुकिंग के दौरान प्रत्येक वेब पृष्ठ में दर्शाए गए कन्टेंट्स के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

बुकिंग प्रक्रिया को पूरा करना आपके द्वारा "टिप्पणियों" तथा "नियमों" को स्वीकार करना माना जाएगा।

## 1. मोबाइल बुकिंग की विशेषताएं

एअर इंडिया लिमिटेड मोबाइल बुकिंग सिस्टम/वर्तमान में केवल एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रचालित उड़ानों के लिए ही उपलब्ध है।

आप प्रति बुकिंग नौ (9) यात्रियों (व्यस्क तथा बच्चों सहित) तक के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बुक किए गए शिशुओं की संख्या व्यस्कों की संख्या के बराबर हो सकती है। बुकिंग, सीटों की उपलब्धता के अधीन केवल एअर इंडिया लिमिटेड में प्रथम, बिजनेस तथा इकानॉमी श्रेणी में की जा सकती है। टिकट जारी होने तक किरायों की कोई गारंटी नहीं है। किराए बाज़ार मान्यता के नियंत्रणाधीन तथा परिवर्तनशील प्रकृति के हैं। एक बार किराया चुनने तथा ट्रांजेक्शन पूरी कर लेने के बाद न तो कीमत बढ़ने पर कोई अतिरिक्त किराया लिया जाएगा और न ही कीमत घटने पर किसी किराए की धनवापसी की जाएगी।

एअर इंडिया लिमिटेड के लिए मोबाइल बुकिंग उड़ान प्रस्थान से 2 घंटे पहले तक की जा सकती है। एक बार ऑनलाइन टिकट खरीदने पर सिस्टम एक इलैक्ट्रॉनिक टिकट जनरेट करेगा तथा एक यात्राक्रम (itinerary) रसीद डिस्पले होगी जिसका प्रिंट लिया जा सकता है। इलैक्ट्रॉनिक टिकट रसीद को एप्लिकेशन के "माई बुकिंग" सेक्शन से देखा/उसका प्रिंट लिया जा सकता है तथा इसे बुकिंग के समय आपके द्वारा दिए गई ई-मेल पते ई-मेल भी किया जाएगा। इलैक्ट्रॉनिक टिकट एक टिकटलैस यात्रा लाभ है। आपके टिकट की इलैक्ट्रॉनिक इमेज एयरलाइन के आरक्षण सिस्टम में स्टोर रहती है। यात्राक्रम (itinerary) रसीद आपकी यात्रा की पुष्टि है। एयरपोर्ट में प्रवेश करने तथा चैक-इन के लिए आपको निम्नलिखित वैध फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक सहित यात्राक्रम (itinerary) रसीद दिखानी होगी:

अंतरराष्ट्रीय यात्रा: पासपोर्ट

अंतरदेशीय यात्रा: पासपोर्ट, फोटो पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, फोटो ड्राइविंग लाइसेंस तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी कार्ड ।

## 2. भुगतान

मोबाइल बुकिंग के लिए भुगतान निम्नानुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग (डायरेक्ट डेबिट) द्वारा किया जा सकता है।

### 2.1 क्रेडिट कार्ड

ऑन लाइन बुकिंग के लिए भुगतान सभी मास्टर/वीज़ा/एमैक्स क्रेडिट कार्डों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड भुगतान, कार्ड जारी करने वाले बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

आप एक ऐसी एप्लिकेशन पर लेन-देन कर रहे हैं जिसका मर्चेट भारत में है कुछ मामलों में जहां मर्चेट उसी देश में न हो जहां का ग्राहक है तो कार्ड जारी करने वाला आपका बैंक ट्रांजेक्शन वेल्थू के ऊपर "अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन शुल्क" प्रभारित कर सकता है। यह शुल्क वीज़ा/मास्टर कार्ड द्वारा लगाया जाता है तथा कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा कार्ड होल्डरों को पास किया जाता है। इन अतिरिक्त विदेशी शुल्कों के संबंध में निर्धारित शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया आप अपने बैंक से पूछताछ कर सकते हैं। यह शुल्क आपके टिकट किराए के अतिरिक्त है तथा इसका विवरण आपकी क्रेडिट कार्ड विवरणी में दर्शाया जाएगा। यह एअर इंडिया लि. द्वारा चार्ज अथवा बिल नहीं किया जाता । इसलिए इसे आपको भेजी गई बुकिंग पुष्टिकरण ईमेल में शामिल नहीं किया जाएगा।

01 अगस्त 2009 से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए "card not present transactions" के सभी मामलों में अतिरिक्त सत्यापन तथा विधिमान्यता प्रक्रियाएं लागू करना आवश्यक किया है। सभी कार्डधारकों को अपने कार्ड जारी करने वाले बैंकों में पंजीकरण करने तथा वीजा अथवा मास्टर कार्ड सुरक्षित कोड पासवर्ड, जिसे ऑनलाइन भुगतान करते समय डाला जाना आवश्यक है, द्वारा सत्यापित करना होगा। टिकट/टिकटों की खरीद के समय उपयोग किए गए डेबिट कार्ड को चैक-इन के समय दिखाना होगा। यदि कार्डधारक यात्रा कर रही पार्टी का सदस्य नहीं है तो यात्रा कर रहे सदस्य को उपयोग किए गए कार्ड की फोटो प्रति (आगे तथा पीछे), सुरक्षा कारणों से जिसकी क्रेडिट वैलिड वेरिफिकेशन (सीवीवी) संख्या ब्लॉक की गई हो, तथा यात्रा के लिए भुगतान को प्रमाणित करता क्रेडिट कार्डधारक का हस्ताक्षरित पत्र अपने साथ रखना होगा। यात्रा विवरण में यात्री का नाम, यात्रा की तिथि तथा वह सेक्टर जिसमें यात्रा की जानी है भी होना चाहिए। चैक-इन के समय सत्यापन हेतु इस दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। यदि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता तो एअर इंडिया को बोर्डिंग देने से इंकार करने का अधिकार है।

किराए तथा प्रभार का ऑनलाइन भुगतान यात्रा आरंभ करने वाले देश की मुद्रा में किया जाता है। जब भुगतान उस मुद्रा से अलग मुद्रा में किया जाता है जिसमें किराए दिए गए हैं तो ऐसा भुगतान वाहको/क्रेडिट कार्ड कंपनी/बैंकिंग विनियमों के अनुसार स्थापित विनियम दर पर किया जाएगा। ये विनियम क्रेडिट कार्ड कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई टिकटों तथा धनवापसी पर भी लागू होगा।

हमारी जोखिम प्रबंधन टीम [chargeback@airindia.in](mailto:chargeback@airindia.in) ईमेल से आपको सत्यापन हेतु एक ईमेल भेज सकती है जिसमें आपको मास्कड क्रेडिट कार्ड की एक स्कैन्ड प्रति तथा एक हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र भेजने को कहा जा सकता है। कृपया ऐसी पूछताछ के उत्तर में सहयोग दें।

## 2.2 डेबिट कार्ड

ऑन लाइन बुकिंग का भुगतान निम्नलिखित बैंकों द्वारा भारत में जारी डेबिट कार्ड द्वारा भी स्वीकार किया जाता है।

1. आंध्रा बैंक
2. एक्सिस बैंक लिमिटेड
3. बारक्लेज बैंक पीएलसी
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
5. कैनरा बैंक
6. सिटी यूनियन बैंक लि.
7. कार्पोरेशन बैंक
8. डच बैंक ए जी
9. जीई मनी फिर्नेशियल सर्विसिज़ लि.
10. एचडीएफसी बैंक लि.
11. आईसीआईसीआई बैंक लि.
12. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
13. आईएनजी वैश्य बैंक
14. कोटक बैंक - वर्चुअल कार्ड
15. शिवालिक बैंक

16. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
18. भारतीय स्टेट बैंक
19. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
20. स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर
21. सिंडिकेट बैंक
22. द फ़ैडरल बैंक लि.
23. द करूर वैश्य बैंक लि.

डेबिट कार्ड भुगतान कार्ड जारी करने वाले बैंक के द्वारा ऑथोराइजेशन के अधीन है। टिकट/टिकटों की खरीद के समय उपयोग किए गए डेबिट कार्ड को चैक-इन के समय दिखाना होगा। यदि कार्डधारक यात्रा कर रही पार्टी का सदस्य नहीं है तो यात्रा कर रहे सदस्य को उपयोग किए गए कार्ड की फोटो प्रति (आगे तथा पीछे), सुरक्षा कारणों से जिसकी क्रेडिट वैलिड वेरिफिकेशन (सीवीवी) संख्या ब्लॉक की गई हो, तथा यात्रा के लिए भुगतान को प्रमाणित करता क्रेडिट कार्डधारक का हस्ताक्षरित पत्र अपने साथ रखना होगा।

यात्रा विवरण में यात्री का नाम, यात्रा की तिथि तथा यात्रा का सेक्टर शामिल होना चाहिए। चैक-इन के समय सत्यापन हेतु इस दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। यदि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता तो एअर इंडिया को बोर्डिंग देने से इंकार करने का अधिकार है।

### 2.3 नेट बैंकिंग तथा कैश कार्ड

बुकिंग इंजन में नेट बैंकिंग/कैश कार्ड विकल्प (विकल्पों) के अंतर्गत निम्नलिखित बैंकों में से किसी बैंक में यदि आपका खाता है तो आप संबंधित बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग विकल्प के माध्यम से सुरक्षित रूप से अपनी ई-टिकट (टिकटों) के लिए भुगतान कर सकते हैं तथा उसकी राशि अपने आप ही आपके खाते से डेबिट हो जाएगी:

1. एबीएन
2. एबीडी
3. एक्सिस बैंक
4. बैंक ऑफ बहरीन कुवैत
5. बैंक ऑफ बड़ौदा कार्पोरेट
6. बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल
7. बैंक ऑफ इंडिया
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
9. कैनरा बैंक
10. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
11. सिटी यूनिनियन बैंक
12. कार्पोरेशन बैंक
13. डच बैंक
14. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक
15. धनलक्ष्मी बैंक
16. फेडरल बैंक

17. एचडीएफसी बैंक
18. आईसीआईसीआई बैंक
19. आईडीबीआई बैंक
20. इंडियन बैंक
21. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
22. इन्डसट्रिज़ पेमेंट गेटवे
23. आईएनजी वैश्य बैंक
24. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
25. जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
26. कर्नाटका बैंक
27. करूर वैश्य बैंक
28. कोटक बैंक
29. लक्ष्मी विलास बैंक कार्पोरेट
30. लक्ष्मी विलास बैंक
31. लक्ष्मी विलास बैंक रिटेल
32. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
33. पंजाब नेशनल बैंक
34. पंजाब नेशनल बैंक कार्पोरेट
35. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
36. शेमराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. साउथ इंडियन बैंक लि.
38. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
39. भारतीय स्टेट बैंक
40. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
41. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
42. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
43. स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर
44. सिंडीकेट बैंक
45. यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया
46. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
47. विजया बैंक
48. येस बैंक

इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा भुगतान धारक के बैंक खाते के सफल ऑथोराइजेशन के अधीन है। बैंको द्वारा लगाया गया प्रति ट्रांजेक्शन 25/- रुपए का अतिरिक्त सुविधा शुल्क भी लिया जाएगा। यह सुविधा शुल्क एअर इंडिया द्वारा नहीं लिया जाता तथा टिकटों की धनवापसी के मामले में इसकी धनवापसी नहीं होती।

एक बार मोबाइल बुकिंग होने के बाद यात्री कृपया यात्रा के समय, प्रस्थान की तिथि पुनः देख लें। किसी भी कारण से उड़ान में विलंब अथवा रद्द होने, जिसमें फ्लाइट शेड्यूल में परिवर्तन शामिल है, पर एअर इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

### 3. परिवर्तन, रद्दकरण तथा धनवापसी:

एक बार मोबाइल एप के माध्यम से आरक्षण करा लेने के बाद आप केवल पूर्ण रूप से उपयोग न की गई टिकटों तथा पूरी बुकिंग के लिए ही अपने आरक्षण को रद्द करने के लिए "माई बुकिंग" सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कृपया हमारे कॉल सेंटर/आरक्षण कार्यालय से संपर्क करें क्योंकि यह परिवर्तन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता।

"माई बुकिंग" सेक्शन के लिंक पर एप्लिकेशन के होम पृष्ठ से पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन की गई बुकिंग के लिए रद्दकरण अनुरोध लागू परिवर्तन/रद्दकरण नियमों के अनुसार प्रोसेस होगा। इसके अलावा अगर ऑनलाइन एक साथ बुक किए गए बहुसंख्यक यात्रियों में से एक यात्री की बुकिंग ऑनलाइन रद्द करने से बुक किए गए सभी यात्रियों की बुकिंग रद्द हो जाएगी क्योंकि कई यात्रियों में से एक यात्री की बुकिंग रद्द करना संभव नहीं है। इस प्रकार के रद्दकरण के लिए भी आपको कॉल सेंटर से संपर्क करना होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में कृपया हमारे कॉल सेंटर अथवा निकट के किसी भी एअर इंडिया कार्यालय से संपर्क करें अथवा [mobilebookings@airindia.in](mailto:mobilebookings@airindia.in) पर ईमेल भेजें।

- 1) यदि आप किसी एअर के कारण "माई बुकिंग" सेक्शन एक्सेस नहीं कर पा रहे।
- 2) यात्रा के यात्राक्रम में परिवर्तन करना हो।
- 3) यदि आप बहुसंख्यक यात्री बुकिंग में से एक यात्री की बुकिंग रद्द करना चाहते हैं।
- 4) किसी भी प्रकार के ऑनलाइन स्पष्टीकरण/पूछताछ/धनवापसी प्राप्त न होने पर।

क्रेडिट/डेबिट कार्डों द्वारा खरीदी गई टिकटों की धनवापसी केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड धनवापसी प्रक्रियाओं के अनुरूप होगी। कृपया नोट करें कि रद्दकरण तथा धनवापसी नियम विभिन्न किराया प्रकार के लिए भिन्न हैं तथा उन्हें "व्यू फेयर रूल्स" लिंक में दर्शाया गया है।

01 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आरंभ हुआ है जिसने कुछ मौजूदा अप्रत्यक्ष करों को रिप्लेस किया है। जीएसटी सभी संबंधित वस्तुओं में लागू होगा जो यात्रियों के हवाई मार्ग द्वारा यात्रा से संबंधित हैं। पुनः बुकिंग तथा रद्दकरण/धनवापसी शुल्क तथा प्रभार पर प्रथम तथा बिजनेस श्रेणी टिकट के लिए 12% तथा इकानॉमी श्रेणी के लिए 5% के सेवाकर का भुगतान करना होगा।

### 4. व्यक्तिगत प्रोफाइल तथा पंजीकरण

आप अपने ईमेल आईडी तथा पासवर्ड से अपनी बुकिंग एक्सेस करने के लिए एक वनटाइम प्रक्रिया के रूप में मोबाइल एप में पंजीकरण कर सकते हैं।

ब्यौरे अद्यतन करने के लिए माई प्रोफाइल टैब में एक्सेस करें। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नाम बिल्कुल वैसा ही लिख जाए जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है। चूंकि टिकट में उपनाम तथा नाम डालना आवश्यक है, यदि पासपोर्ट में केवल प्रथम नाम है तो प्रोफाइल भरते समय कृपया उसी नाम को उपनाम कॉलम में भी डालें यूएसए को तथा से यात्राओं के लिए भरा गया नाम बिल्कुल वही हो जैसा पासपोर्ट में उल्लिखित है।

## 5. आयु एवं जिम्मेदारी

आप यह जानते हैं कि इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपकी आयु पर्याप्त है और इस सेवा के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप आपको मिली किसी भी जिम्मेदारी के लिए अनिवार्य बाध्यताओं के सृजन हेतु आप कानूनी अधिकार और योग्यता रखते हैं। आप समझते हैं कि आप और आपकी आन-लाइन सूचनाओं का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस सेवा के संपूर्ण इस्तेमाल के लिए आप वित्तीय रूप से जिम्मेदार हैं। आप प्रमाणित करते हैं कि इस बुकिंग सुविधा के इस्तेमाल में आप और घर के सदस्यों के द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सही और यथार्थ है। प्रयोक्ता से उसके हित में अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में इस सूचना की पुष्टि एअर इंडिया के समीपस्थ कार्यालय अथवा अपने ट्रेवल एजेंट से करें। आपके द्वारा ऑन-लाइन बुक किए गए बच्चों और शिशुओं की आयु की सटीकता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। शिशु वह है जिसने अभी तक अपना दूसरा जन्म दिन नहीं मनाया है जबकि बच्चा वह जो अपना दूसरा जन्म दिन मना चुका है परंतु यात्रा के आरंभ होने की तिथि को उसका बारहवां जन्म दिन नहीं आया है। वापसी यात्रा आरंभ होने पर शिशु यदि अपना दूसरा जन्म दिन पार कर चुका है, तो टिकट का एक भाग शिशु किराएऔर दूसरा भाग बच्चा किराए के अनुसार जारी किया जाएगा। इस प्रकार की टिकट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक नहीं की जा सकती। शिशु टिकट पर यात्रा करने वाले शिशु को कोई सीट आबंटित नहीं की जाएगी। यदि शिशु के लिए सीट की आवश्यकता है तो बच्चा किराए का भुगतान किया जाएगा।

## 6. सुरक्षा

आपके द्वारा हमारे साथ साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए एअर इंडिया लिमिटेड कार्यान्वित तकनीक और सुरक्षा फीचर्स की सहायता से उपयुक्त कदम उठाएगी। एअर इंडिया लिमिटेड मोबाइल बुकिंग इंजन का इस्तेमाल करते हुए आप जो सूचना एअर इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित करते हैं वह अप्राधिकृत पहुंच से गोपनीय और सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड उपयुक्त उपाय करेगी परंतु एअर इंडिया लिमिटेड अप्राधिकृत पहुंच के विरुद्ध कोई अधिकार (वारंटी) नहीं देती है और किसी भी माध्यम द्वारा इस सूचना तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

## 7. सुरक्षा सूचना

ऑनलाइन भुगतान और निजी डाटा के अन्य सभी लेन-देनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) तकनीक का इस्तेमाल करती है। एसएसएल आपके कंप्यूटर और हमारे सर्वर के बीच हुए सभी सम्प्रेषणों का कोडीकरण करती है ताकि सूचना को केवल एअर इंडिया लिमिटेड के सर्वर द्वारा ही पढ़ा और समझा जा सके। आपके ब्राउज़र विंडो के बॉटम पर बाई और (नेटस्केप) अथवा दाई और (इंटरनेट एक्सप्लोरर) कॉर्नर पर एक बंद ताला सुरक्षित कनेक्शन को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने ब्राउज़र के सुरक्षा स्पेसिफिकेशंस से परामर्श करें। यदि आपका ब्राउज़र एसएसएल (अर्थात् नेटस्केप 4.0 और उससे अधिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 और उससे अधिक) से सुसज्जित है, तो आपका लेन-देन अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। इंटरनेट में सुरक्षित साइट के संकेत के रूप में सामान्य मानक ब्राउज़र के बॉटम पर एक बंद ताला होता है। जब तक यह ताला बंद दिखाई देता है आपकी जानकारी दुरुपयोग से सुरक्षित और कोडीकृत होती है। यदि आप सिक्योर ट्रांजेक्शन लिंक पर क्लिक करते हैं और तब भी आपको बंद ताला दिखाई नहीं देता है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि विंडो किसी दूसरे फ्रेम में भी खुली है। यह जांचने के लिए कि आपका कनेक्शन (इंटरनेट एक्सप्लोरर में) सुरक्षित है, आप अपने माउस का राइट बटन और प्रोपर्टी पर क्लिक करें और उसके बाद सर्टिफिकेट्स पर जाएं। तब

आप देख पाएंगे कि कनेक्शन सिक्क्योर है अथवा नहीं। दूसरा तरीका (नेटस्केप में) माउस के राइट बटन और 'व्यू फ्रेंड इन्फो' पर क्लिक करें और टेक्स्ट के बॉटम पर आप सिक्क्योरिटी सूचना देखेंगे। आपके क्रेडिट कार्ड के विवरण पीसीआई सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत भुगतान गेटवे को स्थानांतरित किए जाते हैं।

## 8. दस्तावेज संबंधी अपेक्षाएं

मान्य पासपोर्ट, वीजा (यदि अपेक्षित हो) सहित सभी दस्तावेजों के सही होने की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। एअर इंडिया आपकी ओर प्रस्तुत किए गए अपूर्ण या अनुपयुक्त दस्तावेजों के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। यात्री कानूनों, विनियमों, आदेशों, संबंधित देशों की मांगों या अपेक्षाओं के अनुसार मांगे गए निकास, प्रवेश, स्वास्थ्य और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। वाहक के पास ऐसे किसी भी यात्री को वहन करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है जो लागू कानूनों, विनियमों, आदेशों, मांगों या अपेक्षाओं का पालन न करता हो अन्यथा जिसके दस्तावेज सही नहीं जान पड़ते हों, अथवा जो वाहक को उन दस्तावेजों की कॉपी लेने और रखने की अनुमति नहीं देता हो। यदि आपके पास आपके सारे दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और आपकी यात्रा के लिए आवश्यक अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज नहीं हैं अथवा यदि उनमें से कोई दस्तावेज मान्य नहीं है अथवा यदि उनमें से कोई दस्तावेज मान्य है, अथवा यदि आपने सभी कानूनों, विनियमों, आदेशों और उस देश की अन्य अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है जहां आप बहिर्गमन (एग्जिट), प्रवेश, या अपनी यात्रा के दौरान स्थानांतरित होंगे तो उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

## 9. एयरपोर्ट कर, अधिभार और शुल्क

टिकटिंग के समय आपकी टिकट पर सभी ज्ञात कर, अधिभार शुल्क वसूल कर लिए जाएंगे। कुछ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट प्रस्थान कर, अधिभार और शुल्क लगाते हैं जो यात्रियों द्वारा स्थानीय एयरपोर्ट पर देय होते हैं। इन प्रभारों की सूचना हमारे उद्धृत किरायों के माध्यम से नहीं दी जा सकती।

## 10. वहन की शर्तें

विमान द्वारा यात्रियों और उनके सामान का वहन सदैव संबंधित वाहक के वहन की शर्तों के अधीन होगा। कृपया 'एअर इंडिया लिमिटेड' की यात्रियों और सामान की हैंडलिंग हेतु "वहन की सामान्य शर्तें" पढ़ें, जिसमें यात्रियों और सामान के वहन के सभी पहलू/शर्तें निर्धारित हैं।

## 11. निबंधनों में संशोधन

एअर इंडिया लिमिटेड के पास इन निबंधन एवं शर्तों को किसी भी नोटिस और देयता के बिना किसी भी समय परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। आप इन निबंधन एवं शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी परिवर्तन का अनुसरण करते हुए एअर इंडिया लिमिटेड ऑन-लाइन बुकिंग का निरंतर इस्तेमाल करना ऐसे परिवर्तनों को आपकी स्वीकृति प्रदान करेगा।



## 12. प्राइवेट का विवरण

### 12.1 सूचना संग्रहण और उपयोग

एअर इंडिया लिमिटेड पंजीकरण से प्राप्त किसी भी सूचना को, "एअर इंडिया लिमिटेड समूह" की किसी कंपनी को छोड़कर, किसी थर्ड पार्टी को बिक्री, व्यापार या प्रकट नहीं करती अथवा प्रयोक्ता की सहमति के बिना कानून द्वारा मांगे जाने अथवा प्रयोक्ता अथवा अन्य की आसन्न वास्तविक हानि की स्थिति को छोड़कर किसी ऑन-लाइन सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करती। जब एअर इंडिया लिमिटेड अपनी ओर से सेवाएं निष्पादित करने के लिए अथवा संयुक्त प्रमोशन के भाग के रूप में अन्य एजेंटों, कान्ट्रैक्टर्स अथवा निगमों का इस्तेमाल करती है, तो एअर इंडिया लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगी कि वह कंपनी प्रयोक्ता की निजी सूचना की रक्षा इस प्रकार करेगी जो इस कथन के अनुरूप होगी। यदि आप हमारे द्वारा अनुरोध की गई किसी व्यक्तिगत सूचना को प्रदान नहीं करने का विकल्प चुनते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करने में तो समर्थ होंगे परंतु हो सकता है कि आप कुछ विशेष विकल्पों या सेवाओं तक पहुंच बनाने में असमर्थ हों।

### 12.2 परिवर्तनों संबंधी अधिसूचना

यदि हम अपनी प्राइवेट पॉलिसी में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे ताकि हमारे प्रयोक्ता सदैव सजग रहें कि हम क्या सूचना एकत्र करते हैं, किस प्रकार हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और किन परिस्थितियों में, यदि कोई हों, हम उन्हें प्रकट करते हैं। यदि हम किसी भी समय व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल सूचना को प्राप्त करते समय बताए गए ढंग से भिन्न किसी तरीके से करने का निर्णय लते हैं, तो हम ई-मेल द्वारा प्रयोक्ताओं को सूचित करेंगे। प्रयोक्ताओं के पास विकल्प होगा कि हम उनकी सूचना को इस भिन्न तरीके से इस्तेमाल करें या नहीं। हम सूचना का इस्तेमाल उसी प्राइवेट पॉलिसी के अनुसार करेंगे जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त की गई थी।

## 13. देयता की सीमाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सूचना

ऐसी यात्रा वाले यात्री जिसकी यात्रा का अंतिम गंतव्य हो अथवा जिसका स्टॉप यात्रा आरंभ होने वाले देश से इतर किसी अन्य देश में हो उन्हें सलाह दी जाती है कि वारसा कन्वेंशन, 1929 अथवा हेग प्रोटोकॉल, 1955 अथवा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के रूप में जानी जाने वाली किसी सन्धि के प्रावधान, यात्रा के आरंभ अथवा गंतव्य के देश के भीतर किसी संपूर्ण भाग सहित, पूरी यात्रा पर लागू हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, से अथवा वहां किसी स्थान पर सहमत स्टॉप के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कन्वेंशन तथा लागू किराए में सम्मिलित वहन का विशेष अनुबंध यह प्रावधान करता है कि कुछ वाहकों, जो ऐसे विशेष अनुबंध में पार्टी हैं, की देयता यात्री की कृत्य अथवा व्यक्तिगत चोट लगने पर अधिकतर मामलों में 75000 यूएस डॉलर प्रति यात्री से अधिक नहीं होगी तथा उस सीमा तक यह देयता वाहक की लापरवाही पर आधारित नहीं होगी। ऐसे विशेष अनुबंधों की वाहक पार्टियों के नाम ऐसे वाहकों के सभी टिकट कार्यालयों पर उपलब्ध हैं और अनुरोध पर उनकी जांच की जा सकती है। किसी निजी कंपनी से इश्योरेंस खरीद पर सामान्य रूप से अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। ऐसा इश्योरेंस वारसा कन्वेंशन, 1929, हेग प्रोटोकॉल, 1955 अथवा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 अथवा ऐसे विशेष वहन अनुबंधों के अंतर्गत वाहक की देयता की किसी सीमा द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी एयरलाइन अथवा इश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से परामर्श करें। नोट: उपर्युक्त 75,000 अमरीकी डॉलर की देयता की सीमा में कानूनी शुल्क और लागत सम्मिलित है, परंतु यदि दावे का कोई मामला ऐसी स्टेट में लाया जाता है जहां कानूनी शुल्क और लागत अलग से देन के लिए प्रावधान किया गया हो, तो कानूनी शुल्क और लागत को छोड़कर यह सीमा 58,000 अमरीकी डॉलर होगी।

## 14. देयता की सीमाओं पर एअर इंडिया से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सूचना

किसी भी अंतरराष्ट्रीय वहन के दौरान वास्तविक वाहक के रूप में एअर इंडिया किसी भी यात्री की मृत्यु, घायल होने अथवा शारीरिक चोट के लिए उत्तरदायी है। मृत्यु, घायल होने अथवा अन्य शारीरिक चोट के प्रत्येक मामले में एअर इंडिया की देयता की सीमाएं प्रमाणित क्षति के लिए 1,00,000 एसडीआर तक होंगी जोकि एअर इंडिया लिमिटेड की अनुबंध की सामान्य शर्तों-यात्री और सामान में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगी।

#### 15. बैगेज देयता सीमाओं का नोटिस

एअर इंडिया लिमिटेड के वहन की सामान्य शर्तों - यात्री और सामान के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अनुसार हानि, विलंब अथवा सामान की क्षति के लिए देयता 1131 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक सीमित होगी जो भंगुर या नाशवान वस्तुओं के लिए वाहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अधिक जानकारी वाहक से प्राप्त की जा सकती है।

#### 16. सरकार द्वारा लगाए गए कर और शुल्क का नोटिस

आपकी टिकट के मूल्य में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा हवाई परिवहन पर लगाए गए कर और शुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। ये कर और शुल्क, जो हवाई यात्रा की लागत के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, को इस टिकट के "टैक्स" बॉक्स में अलग से दर्शाया जाता है। पहले वसूल नहीं किए गए करों एवं शुल्कों का भुगतान आपको करना पड़ सकता है।

#### 17. अनुबंध की शर्तें

जैसा कि इस अनुबंध में इस्तेमाल किया गया है "टिकट" का अर्थ है यह यात्री टिकट और बैगेज चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में, यदि लागू हो, यह यात्राक्रम /रसीद, जिसका ये शर्तें और नोटिस एक भाग हैं, "वहन" "परिवहन" के समान है, "वाहक" का अर्थ है समस्त हवाई वाहक जो यात्री या उसके सामान का वहन करते हैं या वहन करने के लिए वचनबद्ध है अथवा ऐसे हवाई वहन से संबंधित कोई अन्य सेवा निष्पादित करते हैं, "इलैक्ट्रॉनिक टिकट" का अर्थ है वाहक द्वारा या उसकी ओर से जारी यात्राक्रम/रसीद, इलैक्ट्रॉनिक कूपन और यदि लागू हो, तो एक बोर्डिंग दस्तोवज। "वारसा कन्वेंशन" का अर्थ है विमान द्वारा अंतरराष्ट्रीय वहन से संबंधित कुछ नियमों की एकरूपता के लिए कन्वेंशन जिसमें वारसा में 12 अक्टूबर 1929 को हस्ताक्षर किए गए थे, अथवा वह कन्वेंशन जिसमें हेग में 28 सितम्बर 1955 को संशोधन किया गया था अथवा विमान द्वारा अंतरराष्ट्रीय वहन के लिए कुछ नियमों की एकरूपता के लिए मॉन्ट्रियल में दिनांक 28 मई 1999 को हस्ताक्षरित कन्वेंशन, जो भी लागू हो।

1. उक्त के अंतर्गत वहन वारसा कन्वेंशन, 1929 अथवा हेग प्रोटोकॉल, 1955 अथवा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 द्वारा स्थापित देयता से संबंधित सीमाओं के अधीन होगा जब तक ऐसा वहन उस कन्वेंशन में दी गई परिभाषा के अनुसार "अंतरराष्ट्रीय वहन" न हो।
2. पूर्ववर्ती वहन के साथ विरोध न होने की सीमा तक और प्रत्येक वाहक द्वारा निष्पादित अन्य सेवाएं निम्नलिखित के अधीन होंगी : (I) इस टिकट में वर्णित प्रावधानों (II) लागू टैरिफ (III) वाहकों के वहन की शर्तों तथा संबंधित विनियमों जो इसका भाग बनाए गए हैं (और वाहक के कार्यालय में आवेदन करने पर उपलब्ध हैं), परंतु संयुक्त राज्य अथवा कनाडा में किसी स्थान और उसके बाहर किसी स्थान को छोड़कर जहां पर उन देशों के किराए लागू हों।

3. टिकट में वाहक का नाम संक्षिप्त किया जा सकता है। पूर्ण नाम और इसकी संक्षिप्ति वाहक के टैरिफ में, वहन की शर्तों में, विनियमों या समय सारिणियों में दर्शाई जा रही है; वाहक का पता टिकट में वाहक के नाम की पहली संक्षिप्ति के सामने दर्शाया गया प्रस्थान एयरपोर्ट होगा; सहमत स्टॉपिंग स्थान वह स्थान है जो टिकट में दर्शाए गए हैं अथवा यात्री के रूट पर अनुसूचित स्टॉपिंग स्थानों के अनुरूप वाहक की समय सारिणियों में दर्शाए गए हैं; कई स्कसेसिव वाहकों द्वारा निष्पादित वहन को एक सिंगल प्रचालन माना जाएगा।
4. दूसरे हवाई वाहक की लाइन पर वहन करने के लिए टिकट जारी करने वाला हवाई वाहक केवल इसके एजेंट रूप में ऐसा करता है।
5. वाहक की देयता को किसी भी प्रकार छोड़ना या परिसीमन वाहक के एजेंटों, नौकरों और प्रतिनिधियों तथा उस व्यक्ति पर, जिसका विमान वहन हेतु वाहक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तथा उसके एजेंटों, नौकरों और प्रतिनिधियों पर भी लागू होगा तथा उनके लाभ के लिए होगा।
6. चैकड बैगेज को बैगेज चैक के धारक को डिलीवर किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परिवहन में जाने वाले बैगेज के क्षतिग्रस्त होने पर, क्षतिग्रस्त होने का पता लगने के तुरंत बाद, या प्राप्त के अधिकतम 7 दिन के भीतर वाहक को लिखित शिकायत दी जाएगी; विलंब होने के मामले में, बैगेज के डिलीवर होने की तिथि से 21 दिन के भीतर शिकायत की जाएगी। गैर-अंतरराष्ट्रीय परिवहन के संबंध में वहन के टैरिफ अथवा शर्तों को भी देखें।
7. इस टिकट में दिए गए वाहक के टैरिफ में, वहन की शर्तों, अथवा संबंधित विनियमों में यदि अन्यथा उल्लेख न हो तो यह टिकट जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए वहन हेतु मान्य है। वहन के प्रारंभ से पहले वहन का किराया परिवर्तन के अधीन है। यदि लागू किराए का भुगतान नहीं किया गया हो तो वाहक परिवहन करने से मना कर सकता है।
8. वाहक यथोचित प्रेषण के साथ यात्री और सामान के वहन के लिए अपने बेहतरिण प्रयासों का वचन देता है। समय सारिणियों अथवा कहीं और दर्शाए गए समय की कोई गारंटी नहीं है और वह इस अनुबंध का भाग नहीं है। वाहक किसी भी नोटिस के बिना वैकल्पिक वाहकों अथवा विमान को बदल सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर टिकट पर दर्शाए गए स्टॉपिंग स्थानों को परिवर्तित या समाप्त कर सकता है। शेड्यूल्स किसी नोटिस के बिना परिवर्तित किए जाने की शर्तों के अधीन है। वाहक संपर्क बनाने की किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है।
9. यात्री सरकारी यात्रा अपेक्षाओं का पालन करेंगे तथा निकास, प्रवेश और अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और वाहक द्वारा तय किए गए समय तक अथवा यदि कोई समय तय नहीं किया गया है, तो प्रस्थान की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय पहले तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
10. इस अनुबंध के किसी प्रावधान को बदलने, संशोधित करने अथवा छोड़ देने के लिए वाहकों का कोई भी एजेंट, नौकर, प्रतिनिधि प्राधिकृत नहीं है।
11. इस्तेमाल न किए गए कूपनों को उनकी वैधता तिथि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर किराया शर्तों के अधीन वापस करने पर सशर्त धन वापसी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसने लागू कानून, या वाहक के टैरिफ, नियमों अथवा विनियमों के विरुद्ध टिकट प्राप्त किया है तो वाहक के पास उसे वहन करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है। वाहक जिसका नाम यात्री टिकट और बैगेज चैक के सामने "इश्यूड बाय" (जारी कर्त्ता) सेक्शन में दिया गया है, द्वारा जारी किए गए टैरिफ विनियमों के अधीन है।
18. **बैगेज में खतरनाक वस्तुएं**  
सुरक्षा कारणों से यात्रियों के बैगेज में खतरनाक वस्तुएं, जिनकी सूची नीचे दी गई है, नहीं ले जाई जाएंगी।

**कम्प्रेसड गैसेज** (डीपली रेफ्रिजेरेटड, ज्वलनशील गैर-ज्वलनशील और जहरीली) जैसे बुटेन ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन, एकवालग सिलेण्डर और कम्प्रेसड गैस सिलेण्डर।

**कोरोसिव्स (संक्षारक)** जैसे तेजाब, अल्कालिस, मरकरी और वैट सैल बैट्रीज और मरकरी वाले उपकरण।

**विस्फोटक**, एम्युनिशन, फायरवर्क्स और फ्लेयर्स, खाली कारट्रिज हैण्डगन्स, फायरवर्क्स, पिस्टल कैप्स सहित एम्युनिशन।

**ज्वलनशील तरल और ठोस पदार्थ** जैसे लाइटर रिफिल्स, एल्कोहल, लाइटर फ्यूल, माचिस, पेंट्स, थिन्नर, फायरलाइटर्स, लाइटर्स जिन्हें इग्नीशन से पहले इन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, माचिस

**रेडियोएक्टिव सामग्री, ब्रीफकेस और अलार्म डिवाइस** लगे हुए अटैची केस।

**ऑक्सीडाइजिंग सामग्री** जैसे ब्लीचिंग पाउडर और पेरोक्साइड्स

**जहर और संक्रामक पदार्थ** जैसे कीटनाशक, वीड-किलर और जीवित वायरस सामग्री।

**अन्य खतरनाक वस्तुएं** जैसे मैग्नाटाइज्ड सामग्री, आक्रामक या उत्तेजक सामग्री।

भारत सरकार के अनुसार उड़ान के दौरान पूरे समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक है।

## 19. चैक इन समय

एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए स्वीकार कर लिए जाने के पहले और बाद में यात्रियों द्वारा कुछ सरकारी औपचारिकताएं और प्रस्थान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जानी अपेक्षित होती हैं। इन औपचारिकताओं और चैक-इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए यात्रियों को उड़ान के प्रस्थान से पर्याप्त समय पहले वाहक की चैक-इन लोकेशन और बोर्डिंग गेट पर पहुंचना अपेक्षित होता है। प्रत्येक उड़ान के लिए अनुशंसित चैक-इन समय टिकटों पर मुद्रित हैं; तथापि इसकी जानकारी अग्रिम रूप से एयरलाइन के बुकिंग और एयरपोर्ट स्थित कार्यालयों से ली जा सकती है। उड़ान कूपन पर दर्शाया गया समय विमान के प्रस्थान करने का समय है। चैक-इन हेतु विलंब से आने वाले यात्रियों के लिए उड़ान को विलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में एअर इंडिया द्वारा कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जा सकती और यदि आप चैक-इन की समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं अथवा चैक-इन करने में असफल हो जाते हैं तो हमें आपके आरक्षण को रद्द करने का अधिकार है।

## 20. केबिन बैगेज

विमान के भीतर केबिन बैगेज का केवल एक पीस ले जाया जा सकता है, जिसका कुल परिमाण 115 सेमी<sup>3</sup> (45 इंच) से अधिक न हो, बशर्ते कि उसे सीट के नीचे स्थान पर रखा जा सके। अत्यधिक और ओवरसाइज बैगेज को बोर्डिंग गेट पर रोक लिया जाएगा और एक्सेस बैगेज प्रभार वसूल किए जाएंगे। सुरक्षा कारणों से, किसी यात्री के पास अथवा उसके केबिन बैगेज में बैटरी सैल ले जाने की अनुमति नहीं है; चाहे वे हैंड बैगेज के रूप में साथ ले जाए जा रहे इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (छोटे कैमरों को छोड़कर) का भाग क्यों न हों। केबिन और चैक-इन बैगेज के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए <http://www.airindia.in.baggage.htm> देखें।

## 21. जिन यात्रियों का वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं है उनके लिए अनुबंध की शर्तें

उक्त के तहत वहन एअर इंडिया की "वहन की सामान्य शर्तों" के अधीन है और संबंधित विनियम एअर इंडिया के कार्यालयों से जांच हेतु अनुरोध करने पर देखे जा सकते हैं।

**22. जिन यात्रियों का वह अंतरराष्ट्रीय नहीं है उन यात्रियों के लिए सूचना**

1. उक्त के तहत वहन जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है वह भारतीय विमान वहन अधिनियम 1972 की धारा 8 के तहत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट देयताओं से संबंधित नियमों और सीमाओं के अधीन है।
2. भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त, 1989 की अधिसूचना सं0 एसओ 659 (ई) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इसकी देयता निम्नानुसार होगी: यात्री की मृत्यु होने की स्थिति में, अथवा शारीरिक रूप से कोई क्षति अथवा यात्री के घायल होने की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप स्थाई अशक्तता के कारण वह अपनी सामान्य ड्यूटी या बिजनेस अथवा व्यवसाय को करने अथवा उसमें एन्गेज होने से असमर्थ हो जाता है, तो प्रत्येक यात्री के वास्तविक वाहक के रूप में एअर इंडिया की देयता, दुर्घटना की तिथि को यदि यात्री की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है तो, 7,50,000/- रुपए होगी और यात्री की आयु 12 वर्ष से कम है तो 3,75,000/- रुपए होगी।

**23. उन यात्रियों को बैगेज देयता सीमाओं का नोटिस जिनका वहन अंतरराष्ट्रीय नहीं है।**

बैगेज के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने की देयता की सीमा निम्नानुसार है:

- (—) यात्री द्वारा चैक-इन किए गए बैगेज के लिए 450/- रुपए प्रति किलोग्राम की राशि।
- (二) जिन वस्तुओं का चार्ज यात्री स्वयं लेता है उनके लिए 4000/- रुपए की राशि।

**24. विलंब के लिए कोई देयता नहीं**

वाहक 4150 विशेष ड्रायिंग अधिकार (जैसा कि एअर इंडिया लिमिटेड- कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य शर्तों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है) तक के यात्रियों के विमान वहन में विलंब के कारण हुई क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। तथापि, वाहक यात्रियों अथवा सामान के विमान वहन में विलंब के कारण हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा यदि यह साबित हो जाता है कि वाहक और उसके कर्मचारियों तथा एजेंटों ने क्षति से बचने के लिए वे सभी उपाय किए जो यथोचित रूप से आवश्यक थे अथवा ऐसे उपाय करना उसके या उनके लिए असंभव था। वाहक यात्री और उसके सामान को यथोचित प्रेषण के साथ वहन करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए वचनबद्ध होता है। टिकट, समय सारिणियों अथवा किसी अन्यत्र स्थान पर दर्शाया गया समय गारंटी प्राप्त नहीं है और वहन के अनुबंध का भाग नहीं बनता और वाहक संपर्क बनाने की किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता। कभी-कभी प्रस्थान समय और किसी गंतव्य के लिए विमान के उड़ान भरने में लिए गए समय में विलंब हमारे नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण होता है (उदाहरण के लिए, प्रतिकूल मौसम या एयर ट्रैफिक कंट्रॉल विलंब अथवा हड़ताल)। वाहक आपको और आपके सामान को वहन करने में होने वाले विलंब से बचने के लिए आवश्यक सभी यथोचित उपाय करेगा परंतु यह यात्री के प्रति किसी भी देयता के अंतर्गत नहीं होगा।